न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्याः 931/2009
राजस्थान राज्य बनाम ज्ञानाराम वगैरह

दिनांकः 04.09.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण जगमोहन, जाकिर, बनवारीलाल, याकूब वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त गोपाल कृष्ण शर्मा की तस्दीकशुदा फौतगी रिपोर्ट मय मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त हुई। अवलोकन किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से अभियुक्त गोपाल कृष्ण शर्मा की मृत्यु दिनांक 25.08.2025 को होना प्रकट होता है। अतः अभियुक्त गोपालकृष्ण शर्मा के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जाती है। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी दरख्वास्त हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई।

गवाहान की सूची संख्या 02 में अंकित गवाहान संख्या 5, 13, 14, 16 व 17 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रूपये दिनांक 09.09.2025 के लिए, गवाहान संख्या 19, 20, 23, 29 व 30 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रूपये दिनांक 15.09.2025 के लिए, गवाहान संख्या 31 लगायत 34 व 36 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रूपये दिनांक 18.09.2025 के लिए, गवाहान संख्या 37 व 38 एवं 40 लगायत 42 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रूपये दिनांक 20.09.2025 के लिए, गवाहान संख्या 43 लगायत 47 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रूपये दिनांक 23.09.2025 के लिए तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 09.09.2025 को पेश हो।

सर, 04 BW जारी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं